झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

<u>संकल्प</u>

राँची, दिनांक ....

विषयः– राज्य की सेवा/संवर्गों में कार्मिक विभागीय पत्रांक–6752 दिनांक–24.12.2020 के द्वारा लगाये गये प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने से संबंधित संकल्प संख्या–2013 दिनांक–10.04.2023 में आवश्यक संशोधन के संबंध में।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–2013 दिनांक–10.04.2023 के द्वारा कार्मिक विभागीय पत्रांक–6752 दिनांक–24.12.2020 के द्वारा प्रोन्नति में लगाये गये रोक के फलस्वरूप देय तिथि को बिना प्रोन्नति पाये दिनांक–24.12.2020 से संकल्प निर्गत की तिथि (10.04.2023) के मध्य सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2. संकल्प संख्या–2013 दिनांक–10.04.2023 में पदाधिकारी के साथ कर्मचारी शब्द अंकित नहीं रहने के कारण उक्त संकल्प का लाभ सेवानिवृत हुए राज्य के कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

3. अतएव सम्यक विचारोपरांत कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या–2013 दिनांक–10.04.2023 में अंकित – *'पदाधिकारी'* के स्थान पर *'पदाधिकारी/कर्मचारी'* शब्द को प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. साथ ही वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त परामर्श के आलोक में संकल्प संख्या–2013 दिनांक–10.04.2023 की कंडिका–6(iii) को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

6(iii) *दिनांक–24.12.2020 से इस आदेश के निर्गत होने के मध्य प्रोन्नति हेतु योग्य पदाधिकारी, जो सेवानिवृत्त हो गये हैं, को प्रोन्नति का लाभ प्रदान करने के संबंध में दृष्टांत निम्नवत् हैः–*

<u>दृष्टांत</u> *(1)–यदि कोई पदाधिकारी (वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे० 6600, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल–11) दिनांक–31.12.2021 को सेवानिवृत्ति हुए हैं। दिनांक–31.01.2021 को वे प्रोन्नति के योग्य थे एवं प्रोन्नति का उच्चतर पद (वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल–12) तत्समय रिक्त था। ऐसी स्थिति में उन्हें दिनांक–31.01.2021 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जायेगी एवं उन्हें उत्क्रमित वेतनमान निर्धारित होने के पश्चात् वेतन के अन्तर राशि का वित्तीय लाभ बकाया के रूप में भुगतेय होगा। उनके पेंशनादि का निर्धारण (वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल–12) के आधार पर निर्धारित अंतिम आहरित वेतन के आधार पर किया जायेगा।*

<u>दृष्टांत</u> *(2)–यदि कोई पदाधिकारी (वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे० 6600, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल–11) दिनांक–31.07.2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। दिनांक–15.07.2022 को वे प्रोन्नति के योग्य थे एवं प्रोन्नति का उच्चतर पद (वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल–12) तत्समय रिक्त था। ऐसी स्थिति में उन्हें दिनांक–15.07.2022 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जायेगी एवं उन्हें उत्क्रमित वेतनमान निर्धारित होने के पश्चात् वेतन के अन्तर राशि का वित्तीय लाभ बकाया के रूप में भुगतेय होगा। उनके पेंशनादि का निर्धारण (वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल–12) के आधार पर निर्धारित अंतिम आहरित वेतन के आधार पर किया जायेगा।*

दृष्टांत *(3)–यदि कोई कर्मचारी (वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे० 2400, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल–4) दिनांक–31.12.2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं। दिनांक–31.01.2021 को वे प्रोन्नति के योग्य थे एवं प्रोन्नति का उच्चतर पद (वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे० 2800, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल–5) तत्समय रिक्त था। ऐसी स्थिति में उन्हें दिनांक–31.01.2021 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जायेगी एवं उन्हें उत्क्रमित वेतनमान निर्धारित होने के पश्चात् वेतन के अन्तर राशि का वित्तीय लाभ बकाया के रूप में भुगतेय होगा। उनके पेंशनादि का निर्धारण (वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे० 2800, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल–5) के आधार पर निर्धारित अंतिम आहरित वेतन के आधार पर किया जायेगा।*

दृष्टांत *(4)–यदि कोई कर्मचारी वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे० 2400, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल–4) दिनांक–31.07.2022 को सेवानिवृत्ति हुए हैं। दिनांक–15.07.2022 को वे प्रोन्नति के योग्य थे एवं प्रोन्नति का उच्चतर पद (वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे० 2800, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल–5) तत्समय रिक्त था। ऐसी स्थिति में उन्हें दिनांक–15.07.2022 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जायेगी एवं उन्हें उत्क्रमित वेतनमान निर्धारित होने के पश्चात् वेतन के अन्तर राशि का वित्तीय लाभ बकाया के रूप में भुगतेय होगा। उनके पेंशनादि का निर्धारण (वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे० 2800, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल–5) के आधार पर निर्धारित अंतिम आहरित वेतन के आधार पर किया जायेगा।"*

5. संकल्प संख्या–2013 दिनांक–10.04.2023 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

6. इस प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–19.06.2024 में मद संख्या–02 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेशः– आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(प्रवीण कुमार टोप्पो)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/नीति नि०–07–02/2022 का०–4351/राँची, दिनांक 03/07/24

प्रतिलिपि–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

02/07/24

सरकार के सचिव।